



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.12.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चोलापुर में पंजीकृत मारपीट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण को 03 वर्ष 03 माह की अवधि के कारावास व कुल 2,500/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 175/11 धारा 147,148, 323, 504, 506, 308 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.शिवपूजन पुत्र छब्बूराम 2.चेतराम उर्फ चेतई पुत्र छब्बूराम 3.श्यामजी पुत्री छब्बूराम 4.पिन्टू पुत्र चेताराम 5. धनंजय पुत्र शिवपूजन निवासीगण नियारडीह थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 23.12.2025 को माननीय न्यायालय एसीसी-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण शिवपूजन, चेताराम, श्यामजी, पिन्टू, धनंजय को अन्तर्गत धारा 147,149, 323, 504, 506 भादवि में 03 वर्ष 03 माह की अवधि का कारावास व कुल 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । धनराशि अदा न करने पर अभियुक्तगण को 02 माह 15 दिवस का अतिरिक्ति कारावास भुगतनी होगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।